

an>

Title: Need to ensure social security of employees working in news channels rendered jobless or facing the threat of retrenchment in the country.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदय, देश के अंदर चल रहे कुछ लोकप्रिय चैनल जैसे पी7न्यूज, पल्स-मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पल्स-हरियाणा, जिया न्यूज, 4रियल न्यूज, आजाद न्यूज, जी.एन.एन. न्यूज, श्री न्यूज, भास्कर न्यूज, सहारा इत्यादि चैनलों में काम करने वाले कर्मचारियों से जानकारी मिली है कि इनमें से कई चैनल बंद हो गए हैं या कुछ चैनल के कर्मचारियों को तीन-चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है तथा कुछ कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। इन चैनलों में काम करने वाले मीडियाकर्मियों का परिवार इसी वेतन पर आधारित है और उन परिवारों की स्थिति दयनीय हो गयी है। देश में चैनल प्रारम्भ करते समय तीन करोड़ रुपये की सुरक्षा निधि ली जाती है पर बंद करते समय कोई शर्त या नियम नहीं है।

राष्ट्रीय स्तर पर एन.बी.ए.-न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एवं बी.इ.ए.-ब्रॉडकास्ट एडीटर एसोसिएशन नाम की दो संस्थाएं हैं, लेकिन वे उन कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। इस भयावह स्थिति के बावजूद मीडिया बेरोजगार हुए हजारों तकनीशियन एवं बौद्धिक पत्रकार श्रमिकों का पक्ष रखने में विफल रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस संबंध में कोई वैकल्पिक एवं तात्कालिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि अचानक बेरोजगार बनाने वाली संस्थाओं, चैनलों एवं चैनल मालिकों को रोका जा सके।